



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10042021-226503
CG-DL-E-10042021-226503

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1410]
No. 1410]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 9, 2021/चैत्र 19, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 9, 2021/CHAITRA 19, 1943

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2021

का.आ. 1521(अ).— केन्द्रीय सरकार, औषधि नियमके साथ पठित औषधि और प्रसाधन 44 के नियम 1945, सामग्री अधिनियम, (23 का 1940) 1940की धारा 20 की उपधारा के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (2), भारत के राजपत्र, असाधारण - भाग II - खंड 3 - उपखंड- (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2808(अ), तारीख 30 नवम्बर, 2012 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्,—

उक्त अधिसूचना में, मद संख्यांक (i) और (ii) के स्थान पर निम्नलिखित मदों को रखा जाएगा, अर्थात्:—

- “ (i) श्रीमती सयाली उमेश वार्डे, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड -II;
(ii) श्रीमती सुजाता सुदेश कैसरे, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक;
(iii) श्रीमती सुखदा अजय नवरत्ने, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक;
(iv) डॉ. विजयाकुमार मुनीपल्ली, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक; और
(v) श्रीमती अक्षता संदीप परांजपे, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक।”।

[फा. सं. एक्स.11014/12/2020-डीआर]

डॉ. मनदीप के. भण्डारी, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) संख्यांक का.आ. 2808(अ), तारीख 30 नवम्बर, 2012 में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2021

S.O. 1521(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 20 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) read with rule 44 of the Drugs Rules, 1945, the Central Government hereby amends the notification of the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare) number S.O. 2808(E), dated 30th November, 2012 published in Part II - Section 3 - Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, namely,—

In the said notification, for item number (i) and (ii), the following items shall be substituted, namely:—

- “(i) Smt. Sayali Umesh Warde, Senior Scientific Officer Grade-II;
- (ii) Smt. Sujata Sudesh Kaisare, Senior Scientific Assistant;
- (iii) Smt. Sukhada Ajay Navaratne, Senior Scientific Assistant;
- (iv) Dr. Vijaya Kumar Munipalli, Senior Scientific Assistant; and
- (v) Smt. Akshata Sandeep Paranjpe, Senior Scientific Assistant.”.

[F.No. X.11014/12/2020-DR]

Dr. MANDEEP K. BHANDARI, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 2808(E), dated the 30th November, 2012.